भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 899

उत्तर देने की तारीख : 27.07.2026

स्टैंड-अप इंडिया योजना के अंतर्गत पंजाब में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी

899. श्री सतनाम सिंह संधू:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्टैंड-अप इंडिया योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 से पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के महिला उद्यमियों को संवितरित की गई ऋणों की कुल धनराशि कितनी है;

(ग) ग्रामीण जिलों में जागरुकता शिविर आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा स्टार्टअप की शुरुआत के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : स्टैंड-अप इंडिया स्कीम की शुरुआत वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा अप्रैल 2016 में की गई थी जिसका उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) और एक महिला ऋणप्राप्तकर्ता को, कृषि से संबद्ध गतिविधियों सहित विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र में ग्रीन-फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा में 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के मूल्य के ऋण सुविधा प्रदान करना था। यह स्कीम मार्च, 2025 तक संचालन में थी।

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पंजाब में इस स्कीम के तहत एससी/एसटी लाभार्थियों की संख्या का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को संस्वीकृत ऋणों की संख्या
2021-22	153
2022-23	321
2023-24	327
2024-25	617

(ग) : स्टैंड-अप इंडिया स्कीम मार्च, 2025 तक संचालन में थी। हालांकि, पंजाब में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, ग्रामीण जिलों में वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी)/वित्तीय साक्षरता के लिए केंद्र (सीएफएल) और बैंक शाखाओं के माध्यम से सामान्य वित्तीय साक्षरता के लिए जागरुकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2026 तक पंजाब राज्य में 3498 ग्रामीण शाखाएं, 47 एफएलसी और 51 सीएफएल काम कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 37,528 आउटडोर शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 6,35,922 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(घ) : सरकार ने एससी/एसटी स्वामित्व वाले स्टार्टअप के लिए कोलेटरल-मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें अन्य के साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

i. जैसा कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा सूचित किया गया है, स्टार्टअप इंडिया पहल जनवरी, 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य नवाचार, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना था। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की तुलना में एक निर्दिष्ट सीमा तक गारंटी प्रदान कर के पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप्स हेतु ऋण उपलब्ध कराके ऋण तक पहुंच में सुविधा प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) लागू की गई है।

ii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) को लागू करता है, ताकि किसी कोलेटरल सुरक्षा या तृतीय पक्ष की गारंटी के बिना एससी/एसटी स्टार्टअप सहित एमएसई को दी जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की जा सके। एससी/एसटी उद्यमियों के नेतृत्व वाले एमएसई के लिए 85% तक संवर्धित गारंटी कवरेज और गारंटी शुल्क में 10% की छूट का प्रावधान है।

iii. इसके अलावा, एसएलबीसी द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों के माध्यम से बैंकों को एससी/एसटी स्टार्टअप्स के लिए कोलेटरल मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
